

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री के०आर० खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं० — तारीख दायर तारीख फैसला
17/2017/प्रार्थना पत्र 10.02.2017 20.04.2017
उनवान

संजय मुतबन्ना रामनाथ जाट निवासी सणगारी तह० फूलियाकलां
— प्रार्थी
बनाम

- 1— द्वारका पिता देवकरण जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां
- 2— उमराव पिता रामस्वरूप जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां
- 3— किशनलाल पिता प्रहलाद जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां
- 4— रूपचन्द पिता प्रहलाद जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां
- 5— गोपाल पिता प्रहलाद जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां
- 6— रामदयाल पिता हरजी जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां
- 7— रामचन्द्र पिता सोकरण जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां
- 8— गोपाल पिता बन्ना जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री विजय पाराशर : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम सणगारी पटवार हल्का सणगारी तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 118 आ०न० 215 रकबा 0.99 है०, आ०न० 216 रकबा 0.57 है० कुल कित्ता 02 रकबा 1.56 है० स्थित है। प्रार्थी की पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काशत करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये



जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम सणगारी पटवार मण्डल सणगारी संवत 2072 से 75 खाता संख्या 118 कुल किता 2 रकबा 1.56 है० का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सणगारी पटवार हल्का सणगारी तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 118 आ०न० 215 रकबा 0.99 है०, आ०न० 216 रकबा 0.57 है० कुल किता 02 रकबा 1.56 है० प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 600/- (अक्षरे छः सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



२

(के०आर० खौड़)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

३

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

४